रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1441] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2015/आषाढ़ 15, 1937
No. 1441] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2015 /ASADHA 15, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2015

सं. 59/2015

का.आ.1827(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप-खंड (iv) के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित संस्थाओं को वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान यहां नीचे विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के अधीन उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राशियों के बराबर की राशि के कर मुक्त, सुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांडों के निर्गम हेतु प्राधिकृत करती है:-

शर्तें

1. पात्रता:- इन बांडों का ग्राहक बनने हेतु निम्नलिखित पात्र होगा:-

(i) खुदरा व्यष्टि निवेशक (आरआईआई);

(ii) अर्हक संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी);

(iii) अपने-अपने संबंधित अधिनियमों के अनुपालन के अधीन निगम (सांविधिक निगमों सहित), न्यास, साझेदारी वाली फर्म, सीमित देनदारी की साझेदारियां, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं अन्य कानूनी संस्थाएं; और

(iv) उच्च निवल मूल्य वाले व्यष्टि (एचएनआई)।

2. बांडों की अवधि:- बांड की अवधि दस, पंद्रह या बीस वर्ष होगी।

3. स्थायी खाता संख्या:- ग्राहकों के लिए अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) को बांड निर्गमकर्ता को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4. ब्याज की दर:-

(i) संदर्भ सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) दर पर आधारित कूपन दरों की अधिकतम सीमा होनी चाहिए;

(ii) संदर्भ सरकारी प्रतिभूति दर नियत आय मुद्रा बाजार तथा भारतीय व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा यथासूचित समकक्ष परिपक्वता अवधि हेतु सरकारी प्रतिभूति की उत्कृष्ट प्रतिभूति आय की औसत होगी जो कि दैनिक आधार (कार्यकारी दिवस) पर होगी ताकि सार्वजनिक निर्गम के मामले में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) अथवा कंपनी विनियम तथा संस्थागत बिक्री के मामले में निर्गम शुरु करने की तिथि के साथ अंतिम विवरण पत्र दाखिल करने से तुरंत पहले आने वाले शुक्रवार को समाप्त हो रहे दो सप्ताहों तक बनी रहती है;

(iii) एएए श्रेणीकृत निर्गमकर्ताओं हेतु खुदरा वयष्टि निवेशकों (आरआईआई) के मामले में अधिकतम कूपन दर संदर्भ सरकारी प्रतिभूति दर से 55 आधार अंक कम होगी, तथा ऊपर उल्लिखित (i) के (ii),(iii) एवं (iv) में सदर्भित अन्य निवेशक वर्ग के मामले में संदर्भ सरकारी प्रतिभूति दर से 80 आधार अंक कम होगी;

(iv) निर्गमकर्ता संस्था की श्रेणी एए+ होने के मामले में अधिकतम दर एएए श्रेणीकृत संस्थाओं हेतु अधिकतम दर से 10 आधार अंक ऊपर होगी, [खंड (iii) में दिए गए अनुसार];

(v) निर्गमकर्ता संस्था की श्रेणी एए अथवा एए- होने के मामले में, अधिकतम दर एएए श्रेणीकृत संस्थाओं हेतु अधिकतम दर से 20 आधार अंक ऊपर होगी, [खंड (iii) में दिए गए अनुसार];

(vi) अधिकतम दरें ब्याज के वार्षिक भुगतान पर लागू होगी तथा ब्याज भुगतानों के चुकौती कार्यक्रम के अर्द्ध वार्षिक बदले जाने के मामले में ब्याज दरों को 15 आधार अंकों से घटाया जाएगा;

(vii) खुदरा व्यष्टि निवेशकों पर लागू ब्याज की उच्चतर दरें उनके द्वारा बांडों को गैर-खुदरा निवेशकों को हस्तांतरित करने के मामले में उपलब्ध नहीं होगी।

5. निर्गम खर्च एवं दलाली:-

(i) संस्थागत बिक्री के मामले में निर्गम का कुल खर्च निर्गम के आकार के 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा सार्वजनिक निर्गम के मामले में इसे निर्गम के आकार के 0.65 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

(ii) निर्गम खर्च में निर्गम से जुड़े सभी खर्च जैसे दलाली, विज्ञापन, मुद्रण, पंजीकरण आदि शामिल होते हैं।

6. सार्वजनिक निर्गम:-

(i) प्रत्येक संस्था द्वारा निर्गम किए बांडों की कुल राशि का कम से कम 70 प्रतिशत सार्वजनिक निर्गम के माध्यम द्वारा उद्दूत होना चाहिए।

(ii) ऐसे सार्वजनिक निर्गम के 40 प्रतिशत को खुदरा व्यष्टि निवेशकों हेतु सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7. संस्थागत बिक्री:-

(i) बांडों की संस्थागत बिक्री का रास्ता अपनाते समय प्रत्येक संस्था द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियमन 2008 के विनियम II अनुसार प्रत्येक संस्था द्वारा बही-निर्माण प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए जिसमें बोलियां संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन कूपन दर पर लगायी जाएगी तथा आबंटन मूल्य बोली पर किया जाएगा।

(ii) बांडों का भुगतान एक निश्चित कूपन के साथ प्रीमियम के लिए तथा उसी के लिए किया जाएगा ताकि दस्तावेज को एकल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) के अंतर्गत कारोबार किया जा सके तथा लाभ उद्दूत की गई कीमत के आधार पर परखा जाएगा तथा इसके पश्चात आबंटन उच्च कीमत (न्यूनतम लाभ) के लिए किया जाएगा;

(iii) ब्याज की उच्चतम सीमा दर उपर्युक्त पैरा (4) में निर्दिष्ट दर की तुलना में या तो बराबर अथवा कम होगी;

(iv) बोली लगाने के समय निर्गम हेतु बोली लगा सकने वाले व्यवस्थापकों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।

8. बांडों की धन वापसी

(i) बांडों को जारीकर्ता संस्था धन वापसी के देय हो जाने के उपरांत उधार ली गई निधि की वापसी के लिए अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने हेतु एक वित्तीय योजना वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी;

(ii) उप पैरा (i) में संदर्भित वित्तीय योजना संबंधित संस्था के निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा विधिवत अनुसमर्थित निर्गम के बंद होने के तीन माह के भीतर वित्तीय अनुभाग अवसंरचना प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

9. मर्चेंट बैंकरों का चयन:-

i. मर्चेंट बैंकरों का चयन पारदर्शी पूर्व अर्हता मानदंडों के साथ प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा तथा अंतिम चयन वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन पर आधारित होगा।

ii. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के अंतर्गत लाभ तभी ग्राह्य होगा यदि ऐसे बंध पत्रों का धारक अपना नाम तथा धृति संस्था के साथ पंजीकृत कराता है।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीयन) विनियम, 2008 में विनिर्दिष्ट लोक निर्गम अपेक्षाओं के अनुपालन में किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक विवरण-पत्रिका को दाखिल करना शामिल है, जैसा लागू हो।

सारणी

क्र.सं.	**कंपनियां**	**बांडों की आबंटित राशि (करोड़ रूपए में)**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	24000
2	भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी)	6000
3	आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको)	5000
4	इंडियन रेन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए)	2000
5	विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (पीएफसी)	1000
6	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी)	1000
7	एनटीपीसी लिमिटेड	1000

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,-

(i) अर्हक संस्थागत विक्रेताओं (क्यू आई बी) से वही तात्पर्य होगा जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रकटीकरण तथा निदेशक संरक्षण) दिशानिर्देश 2000 द्वारा उन्हें परिभाषित किया गया है।

(ii) खुदरा एकल निवेशक से तात्पर्य उस एकल निवेशक से है जो अविभाजित हिंदू परिवार (कर्ता द्वारा) तथा अनिवासी भारतीय, वापसी पर तथा गैर-वापसी आधार पर प्रत्येक निर्गम में 10 लाख रुपये तक का आवेदन करता हो तथा एकल निवेशक जो 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश करता हो उसे उच्च नेटवर्थ एकल निवेशक के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(iii) अनिवासी भारतीय को जारी बांड समय-समय यथा संशोधित विदेश विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 तथा धारा 47 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अंतर्गत क्रमश: जारी अधिसूचना सं. फेमा 4/2000-आरबी, दिनांक 3 मई, 2000 तथा अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000 के उपबंधों के अधीन होंगे।

(iv) इस अधिसूचना के पैरा (4) में संदर्भित क्रेडिट रेटिंग का तात्पर्य उस क्रेडिंट रेटिंग से है जैसा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा परिभाषित किया गया है जिसे भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा जिन मामलों में किसी संस्था को एक से अधिक रेटिंग एजेंसी द्वारा अलग-अलग रेटिंग प्रदान की गई हो तो उनमें से निचली रेटिंग पर विचार किया जाएगा।

/27/2015-आ.क.नि.-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक